

संख्यांक 1
मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास - जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 14 / 2019
तारीख दायर : 10.01.2019

अनवान

1. परमेश्वर पिता कैलाशचन्द्र जाति काबरा निवासी झंझोला तहसील माण्डलगढ़।

वादी....

बनाम

1. मूलीदेवी पत्नि रामचन्द्र काबरा जाति महाजन निवासी झंझोला तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण....

उपस्थित :-


1. श्री नितिन सारस्वत (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री संजय चौहान (अधिवक्ता प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक : 28.12.2022


वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाद नियमित सुनवाई पर स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा भारजीका खेडा में प0ह0 झंझोला में स्थित ख.नं. 30 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख.सं. 31 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा ख.नं. 37 रकबा 3 बिघा 16 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा मौजा राजगढ़ प0ह0 राजगढ़ स्थित खसरा नं. 447/383 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा ख.नं. 514/383 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 13 बिघा 9 बिस्वा पर अन्य खाता मौजा झंझोला प0ह0 झंझोला स्थित खसरा नम्बर 295 रकबा 2 बीघा ख.नं. 642 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा, ख.नं. 643 रकबा 7 बिस्वा, ख0नं0 644 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 645 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा ख.नं. 648 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 649 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ख.नं. 652 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 52 बीघा 2 बिस्वा, मौजा झंझोला स्थित आराजी संख्या 180 रकबा 02 बीघा, मौजा मेघपुरा स्थित आराजी संख्या 189 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, आराजी संख्या 190 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि उक्त राजस्व रेकार्ड एवं समस्त आराजियात में प्रतिवादी नं. 1 का नाम हटाया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार दर्ज किया जावे।
हार्द खर्चा मुकद्मात फरिक्केन अपना अपना वहन करें।


जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़



वाद के खर्चे

वादी	रूपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रूपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4.			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय					
6. कमिश्नर की फीस			5. आदेशिका को तामील		
7. आदेशिका की तामील			6. कमिश्नर की फीस		


जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़